



उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-634/2026/1716/22-2-2025-17(1026)/2025

लखनऊ: दिनांक: 03 जून, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी बेनीराम (बन्दी सं0-49290) पुत्र श्री टीकाराम, जो ग्राम-जमुनिया, थाना-माधौटाण्डा, जनपद-पीलीभीत का निवासी है, जिसे सत्र परीक्षण संख्या-206/1988, भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, पीलीभीत के दण्डादेश दिनांक 31.03.1992 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 26-05-2020 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुये मा० सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 16.03.2025 तक अपरिहार 04 वर्ष, 08 माह, 05 दिन तथा सपरिहार 06 वर्ष, 01 माह, 13 दिन की सजा भोगी जाने, सन्तोषजनक जेल आचरण होने के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरुद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

संख्या-634/2026/1716(1)/22-2-2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवार्य, उ०प्र० लखनऊ।
- 2- जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।
- 3- पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत।
- 4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
- 5- निजी सचिव, मा० मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० शासन को मा० मंत्री के सूचनार्थ।
- 6- निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० शासन को मा० मंत्री के सूचनार्थ।
- 7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उ०प्र० शासन।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।